



The heart of  
Incredible India



*The real*  
**Homestays**  
*of India.*  
**Madhya Pradesh**

H  
A  
V  
I  
N  
G  
  
W  
E  
  
L  
O  
V  
E  
  
H  
E  
R  
E



Scan for more details



LETS MOVE TOGETHER



*If you want  
different, you  
have to start  
choosing  
different*

*Vasudhaiva Kutumbkam*



# मध्यप्रदेश होमस्टे

**मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड** ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी घर मालिकों को अवसर देने वाली योजनाओं की शुरुआत की, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए अपने आवास के एक हिस्से को पर्यटन आवास के रूप में देने को तैयार हैं। ये अनूठी और समर्थक योजनाएं संपत्ति मालिकों को पर्यटकों को “भारत के दिल” की समृद्ध संस्कृति, भोजन, रीति-रिवाज और जीवन शैली से परिचित कराने में सक्षम बनाएगी।



## HOME STAY

### मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018)

होमस्टे आतिथ्य और आवास का एक लोकप्रिय रूप है, जिसके तहत आगंतुक शहर के स्थानीय लोगों के साथ एक निवास साझा करते हैं। नगरीय निकाय की सीमा के अन्दर ऐसी इकाई जिसमें सम्पत्तिधारक स्वयं निवासरत हो।



## BREAD & BREAKFAST

### मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019

ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/ भोजन आदि सुविधा प्रदाय करना एवं भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित कराना है। नगरीय निकाय की सीमा के अन्दर ऐसी इकाई जिसमें सम्पत्तिधारक स्वयं अथवा केयरटेकर निवासरत हो।



## FARM STAY

### मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019

फार्म स्टे नगरीय निकायों की सीमा से बाहर स्थित आवासीय भवन, जिसमें संपत्तिधारक/ केयर टेकर स्वयं निवास करता हो। पर्यटक आवास एवं खानपान सुविधा उपलब्ध हो तथा प्राकृतिक पर्यावरणीय अनुभव एवं इनडोर-आउटडोर मनोरंजक गतिविधियाँ उपलब्ध हों।



## GRAM STAY

### मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019

ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय भवन हैं जिसमें गृहस्वामी स्वयं अथवा पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित किया गया हो।



# योजना के प्रमुख आकर्षण

पंजीयन हेतु सरल एवं आसान ऑनलाइन प्रक्रिया

यूनिट संचालको को अधिक स्टाफ रखने के आवश्यकता नहीं

कोई भी यूनिट संचालक अपनी संपत्ति में न्यूनतम एक और अधिकतम छह कमरों का निर्माण कर सकता है।

आवास में आरामदायक होम स्टे के लिए सभी सुविधाएं होनी चाहिए।

मालिकों को पंजीकृत संपत्ति में किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति नहीं है।

# होमस्टे क्यों प्रारंभ करें

- अगर आप **ग्रहणी** हैं और आपके बच्चे बाहर रहते हैं,
- आप **सेवानिर्वित, डॉक्टर, शिक्षक, आर्मी पर्सन**, अधिकारी हैं
- यदि आप अपने घर के **अतिरिक्त कक्ष के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित** करना चाहते हैं
- यदि आपके घर में काम से कम **एक एवम अधिकतम 06 अतिरिक्त** कक्ष हैं
- यदि आप **तेजी से बढ़ते हुए पर्यटन** व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं
- यदि आप अपनी **संस्कृति, खान पान, वेश भूषा** एवं परम्परा से पर्यटकों को परिचित कराना चाहते हैं
- यदि आप अपने **व्यवसाय को नए लोगों** के साथ मेल जोल के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं।



# हमारा चयन क्यों

- पर्यटन विभाग के सहयोग से **अतिरिक्त आय** का स्रोत ।
- पर्यटन विभाग में इकाई के पंजीयन पश्चात् समय समय पर निर्धारित चरणों के अनुसार **आकर्षक वित्तीय एवं विभागीय प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है।
- पंजीकृत इकाई को फूड तथा **रेस्टोरेंट लायसेंस** लेना आवश्यक नहीं होगा।
- इन लाभदायक योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश के पर्यटन **विभाग के आतिथ्य क्षेत्र में सहयोगी बनना।**
- पर्यटन विभाग अपनी वेबसाइट और अन्य मीडिया स्रोतों के माध्यम से सभी पंजीकृत इकाइयों का प्रचार - प्रसार करेगा।
- विपणन हेतु **तकनीकी मार्गदर्शन एवं बाज़ार की मांग** के अनुरूप आवश्यक तकनीकी सहायता ।



*Come as Guests, leave as  
Family!*



## संपर्क

Madhya Pradesh Tourism Board (MPTB)  
6th Floor, Lily Trade Wing  
Jehangirabad, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh 462008.  
[www.mphomestay.mponline.gov.in](http://www.mphomestay.mponline.gov.in)  
0755- 2780700/  
2780600  
[homestay.mptb@mp.gov.in](mailto:homestay.mptb@mp.gov.in)



Scan for more details



The real  
*Homestays*  
of India.  
Madhya Pradesh



LET'S MOVE TOGETHER